

TO BE PUBLISHED IN PART II-SECTION 3-SUB-SECTION (11) OF  
THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY.

\*\*\*\*\*

CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES

CORRIGENDA  
WEALTH-TAX

New Delhi, the 4th October, 1975

In the notification of the Central Board of Direct Taxes  
No.S.O.730(A), dated 19th December, 1974, published at pages  
2678 to 2679 of the Gazette of India Extraordinary, Part II-  
Section 3-Sub-section (11), dated 19th December, 1974, at  
page 2678, in line 13, omit "as".

✓ No. 112 / F.No.142(19)/73-517

Sd/-

(O.P. BHARDGAL)  
Secretary, Central Board of Direct Taxes.

भारत के राजपत्र, जसाधारण के भाग-11, सण्ड 3, उपसण्ड (ii)

के प्रकाशार्थ

केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड  
भारत सरकार  
वित्त मंत्रालय  
(राजस्व और बीमा विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 4 अक्टूबर, 1975

शुद्धि-पत्र

का० नि० सं०

भारत के राजपत्र, जसाधारण, भाग-11, सण्ड 3,

उपसण्ड (ii) दिनांक 19 दिसम्बर 1974 के पृष्ठ 2680 पर प्रकाशित भारत

सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व और बीमा विभाग) की अधिपूना संस्था

का० बा० 727 (अ) में कृपया निम्नलिखित संशोधन कर लिए जाय:-

1. दूसरे पैराग्राफ के भाग (ख) की दूसरी पंक्ति में 'पर' के स्थान पर 'रुपर' पढ़ा जाए।
2. दूसरे पैराग्राफ के भाग (ख) की अन्तिम पंक्ति के अन्त में उद्धरण चिन्ह के बाद '।' को हटा दिया जाय।

✓ [ सं० 1120 / का० सं० 142(19)/73 - सी० पी० प्र० ]

हस्ताक्षर-

(जा० पी० मारदाज)

सचिव, केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड

(ब)

78/25  
TAL